



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8973 वर्ष 2026

राजू उर्फ राजकुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	भास्कर भद्र
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भास्कर भद्र और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन परीक्षण की लम्बितता के दौरान आवेदक को मामला अपराध संख्या 272 वर्ष 2019, अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन आंवला, जिला बरेली में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका के जेठ का पुत्र है और झूठे और सामान्य आरोपों के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आगे उन्होंने कहा कि आवेदक के पिता, यानी मृतका के जेठ, मोहर सिंह को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनका जमानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ-59 पर संलग्न है और जहां तक आरोपों का संबंध है, आवेदक का मामला उनके समान ही है।

5. आगे उन्होंने कहा कि आंतरिक अंगों की रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु कीटनाशकों के सेवन से हुई है, इसलिए यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 27.01.2026 से जेल में है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालांकि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों पर विवाद नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतका के जेठ का पुत्र है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, और यहां तक कि उसके पिता यानी मृतका के जेठ को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मृतका की विसरा रिपोर्ट को देखते हुए, उसके द्वारा आत्महत्या की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 27.01.2026 से जेल में है, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपरोक्त मामले में आवेदक **राजू उर्फ राजकुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां पर किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का परीक्षण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

शहरोज

(न्यायमूर्ति समीर जैन)